5.12.18 को पत्रावली पेश हुई। [illegible] महोदय उपस्थित। [illegible] हैं। सुनवाई [illegible] दिनांक 27.2.19 को पेश हो।

27.2.19 [illegible] 4.4.19 को पेश हो।

4.4.19 वकील पक्षकारान उपस्थित। [illegible] प्रस्ताव हेतु [illegible] 10.4.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

10.4.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं होते हैं वाजिब वकील वादी को बार-बार कई कई बार आवाज लगवाई परन्तु उपस्थित न्यायालय नहीं हुए। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी व वादी अनुपस्थित रहने से वाद वादी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दे कर तथा बाद तकमील कार्यवाही आगा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.4.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।